

सेवा में,

श्रीमान केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी महोदय

छावनी परिषद मथुरा।

विषय :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधि02005

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी ए-35 मोतीकुन्ज एक्सटेन्शन तहसील व जिला मथुरा का निवासी है। प्रार्थी ने अपने मकान से लगे मकान ए-36 की उत्तरी दिशा में हुए सैट बैक (गैलरी) पर अवैध व अनाधिकृत निर्माण के संबंध में आपत्तियाँ की थीं, जिन पर माननीय उच्च नयायालय इलाहाबाद के आदेशानुसार श्रीमान जी वर्तमान में प्रार्थी के प्रत्यावेदनों पर सुनवाई कर निस्तारण की कार्यवाही कर रहे हैं। प्रार्थी को मकान नं0ए-36 के अवैध वा अनाधिकृत निर्माण आरसीसी पिलर इत्यादि के संबंध में निम्न प्रश्नों के उत्तर देने की कृपा करें।

- 1- क्या शमन की कार्यवाही छावनी परिषद अधि02006 व छावनी परिषद के वायलॉज के विरुद्ध ^{जाकर} की जा सकती है ?
- 2- क्या 200 वर्गगज के प्लॉट अर्थात 167.22 वर्गमीटर के प्लॉट में अनुमन्य अधिकतम 65 प्रतिशत कवर्ड एरिया तथा प्लॉट एरिया के अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक अवैध व अनाधिकृत निर्माण का शमन किया जा सकता है ?
- 3- क्या भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत आवासीय भवनों में साइट सैट-बैक (गैलरी) में सैट बैक की चौड़ाई का अधिकतम 25 प्रतिशत से अधिक शमन किया जा सकता है ?
- 4- क्या छावनी परिषद द्वारा स्वीकृत मानचित्र में सैट बैक (गैलरी) ओपन स्पेश जो बाद में भी छावनी परिषद के अधिशाषी अधिकारी द्वारा पुनः सैट बैक को

Q. S. Sinchis

CP10
me
14/05

17/05

भू-स्वामी द्वारा ओपन रखने/स्वीकृत मानचित्र के अनुसार रखने के आदेश के वावजूद भी शमन करके सामुदायिक सुविधाओं को प्रभावित करने हेतु निर्माण करने की अनुमति दी जा सकती है ?

5- श्रीमान जी प्रार्थी को छावनी परिषद कि वायलॉज की कापी मय शमन के नियमों सहित दिलाई जावे।

श्रीमान जी उक्त सभी सूचनाएँ प्रार्थी के जीवन व प्राण से सम्बन्धित हैं, इसलिए प्रार्थी को उक्त सूचनाएँ एवं प्रतिलिपि 48 घण्टे के अन्दर-2 प्रदान कराये जाने की कृपा करें।

दिनांक 14-05-2018

प्रार्थी
G. S. Sindhi
गुलफाम सिंह सिसौदिया

निवासी-ए-35 मोतीकुन्ज एक्स0

तहसील व जिला मथुरा।

मोबा0नं0-9897062370

नोट- आवश्यक शुल्क पो0आ0सं0- 924 725049

50.00 रूपयचस्पा है, शेष यदि कोई शुल्क होगी तो

प्रार्थी उसे नियमानुसार अदा करेगा।
